

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 394 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

कितनी गुडिया

मरथा कोनगाडी

- विक्रेता
- क्रेता

3

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर, की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

15.09.19

आदेश

आवेदक कितनी गुडिया पिता ठेपाई गुडिया ग्राम-सिरका टोली कमडा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने मरथा कोनगाडी पति स्व0 अभिराम कोनगाडी ग्राम-हरिजन टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
दियांकल	51	126	486	0.15

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1512137938 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 297 दिनांक 25.03.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0- 942 दिनांक 24.07.2017 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम बाडा सनिका पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार कितनी गुडिया के नाम भूमि का रकबा 3.10 एकड है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.10 एकड भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 10804.00(दस हजार आठ सौ चार)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 2.95 एकड रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण कितनी गुडिया पिता ठेपाई गुडिया को मरथा कोनगाडी पति स्व0 अभिराम कोनगाडी के साथ ग्राम दियांकल के खाता सं0 126 खेसरा संख्या 486 कुल रकबा 0.15 एकड भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10804.00(दस हजार आठ सौ चार)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित
3/09/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

3/09/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।